रजिस्टर्ड-पत्र

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/18-19/ 2541

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 27.9.18

PM-I

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004

RR 157820408 28/9/18

विषय:- राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन देय मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का संशोधित दर से भुगतान करने बाबत।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प. 3(3) साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 23.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(282)निपेवि/नियम/2014/2339-2405-H दिनांक 11.09.2018 एवं राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प. 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 23.08.2018 अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने. क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

II O/P

TR 207 5.11.18

सलंग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

महालेखाकार (ले.एवं ह.) का कार्यालय
O/o. the Accountant General (A&E)
03 OCT 2018
No.
आंध्रप्रदेश, हैदराबाद-4.
Andhra Pradesh, Hyderabad-4

526923 5/10/18

Transferred to OG IS for n.a.

AAO / PM - AP

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प.5(282)/निपेवि/नियम/2014/ 2339-2405-H दिनांक : 11-09-2018

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. कोषाधिकारी (समस्त) राज.
3. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत समस्त बैंक (प्रशासनिक/क्षेत्रीय कार्यालय)

विषय :– राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन देय मीसा/डी.आई. आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों की पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का संशोधित दर से भुगतान करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(3)साप्र/6/2008 पार्ट दिनांक 23.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नांकित संशोधन किये हैं :–

1. सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी. सी. बन्दियों की पत्नी/पति को दी जा रही पेंशन राशि रूपये 12000/– प्रतिमाह को बढ़ाकर दिनांक 23.08.2018 से रूपये 20000/– प्रतिमाह किया गया है।
2. मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों की पत्नी/पति को पेंशन के साथ दी जा रही रूपये 1200/– प्रतिमाह की नकद चिकित्सा सहायता को बढ़ाकर दिनांक 23.08.2018 से रूपये 4000/– प्रतिमाह किया गया है तथा इसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग की उक्त अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराते हुये नियमानुसार पूर्व में स्वीकृत सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों एवं उनकी पत्नी/पति को दी जा रही पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का भुगतान दिनांक 23.08.2018 से बढ़ी हुई दर से कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(मंजूला वर्मा)
निदेशक

PA 19.9.18

हिन्दी - 405
20-9-18

दिनांक :

क्रमांक :– प.5(282)/निपेवि/नियम/2014/

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय..............................(राज.)
3. उप/सहायक निदेशक, पी.आर.–2 अनुभाग, कार्यालय हाजा
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC को भिजवाकर लेख है कि सॉफ्टवेयर मे आवश्यक संशोधन राज्य सरकार के आदेशानुसार करना सुनिश्चित करावें।
5. DD(IFPMS)/A.C.P कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी सचिव/निजी सहायक, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

6228

संयुक्त निदेशक(नियम)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

जयपुर, दिनांक 23 AUG 2018

क्रमांक प0 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (i) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।
   (ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 10 (ग) एवं (घ) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–
   "(ग) पेंशन की दर :– पैरा 10(क) में वर्णित सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को रूपये 20,000/–(अक्षरे रूपयें बीस हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।"
   "(घ) यह और कि किसी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 4,000/–(अक्षरे रूपये चार हजार मात्र) प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी, जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"
3. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 11 में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोडा जाता है, अर्थात् :–
   "11.3 उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन एवं चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम की लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा के पास दिये जायेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव/निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।

कृ.पृ.उ.

Pension